



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2014/आषाढ़ 6, 1936

No. 1363]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2014/ASHADHA 6, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2014

का.आ. 1632(अ).—विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ – (1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाए।

(2) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के खण्ड 4 में उप-खण्ड (i) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) "विशिष्ट परिस्थितियों, अतिरिक्त घोषणाओं के अंतर्गत और इस आदेश की अनुसूची VI में सूचित उद्देश्यों के लिए मृदा, भूमि, रेत और समतुल्य सामग्री के प्रेषण के लिए अनुमति दी जा सकती है।"

3. क्रम संख्या 394 के लिए उक्त आदेश की अनुसूची VI में, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र.सं.	पादप किस्में	पौध सामग्री की श्रेणी	उत्पत्ति का देश	पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में समाविष्ट की जाने वाली आवश्यक अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशिष्ट शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"394	i. मृदा	किसी भी रूप में (अनुसंधान उद्देश्य के लिए)	कोई भी देश	से मुक्त: कीट नाशीजीवमार नेमाटोडस, माइक्रोबस और संगरोध खर-पतवार बीज	(i) दो घंटे के लिए 121 डिग्री से. पर शुष्क ताप अथवा (ii) 15 पीएसआई पर 30 मिनट के लिए 121 डिग्री से. पर वाष्प ताप (ऑटोक्लेव)
	ii. ग्रोइंग मीडिया (मृदा, पीट या अन्य जैव सामग्री सहित)	किसी भी रूप में (पौधों सहित या बिना पौधे के)		से मुक्त: कीट नाशीजीवमार नेमाटोडस, माइक्रोबस और संगरोध खर-पतवार बीज	15 पीएसआई पर 30 मिनट के लिए 121 डिग्री से. पर वाष्प ताप
	iii. रेत	किसी भी रूप में (गैर-कृषि उद्देश्य के लिए)		से मुक्त: कीट नाशीजीवमार नेमाटोडस, माइक्रोबस और संगरोध खर-पतवार बीज और पादप अवशिष्ट जैसे जैव पदार्थ	शून्य
	iv. पीट या स्फागनम मॉस	किसी भी रूप में		से मुक्त: कीट नाशीजीवमार नेमाटोडस, माइक्रोबस और संगरोध खर-पतवार बीज	(i) 15 पीएसआई पर 30 मिनट के लिए 121 डिग्री से. पर वाष्प ताप अथवा (ii) पीट सतह से 2 मीटर नीचे होनी चाहिए।
	v. समान सामग्री : अजैविक मृदा संयोजी, लियोनारडाइट, लिग्नाइट, विशुद्ध रेत (सिलिका, जिरेकोन, क्वार्टज आदि), शुद्ध मिट्टी जैसे केओलीन आदि, रॉक एग्रीगेट्स व कंकड़, बोलकैनिक प्यूमिस, चॉक, सॉल्ट, डायटोमैशियस अर्थ, लौह अयस्क, बर्मीक्यूलाइट परलाइट, जिप्सम, जिओलाइट आदि,	किसी भी रूप में (औद्योगिक और गैर-कृषि उद्देश्य के लिए)		से मुक्त: पादप अवशिष्ट आदि जैसे जैविक पदार्थ	शून्य
	vi. पत्थर	समुच्चयित/डस्ट (गैर-कृषि उद्देश्य के लिए)	नेपाण	से मुक्त : पादप अवशिष्ट आदि जैसे जैव पदार्थ	शून्य

[फा. सं. 8-57/2011-पीपी. II खण्ड II (भाग II)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को संख्या का.आ. 1322 (असा.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (असा.), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (असा.), 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (असा.), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (असा.), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (असा.), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (असा.), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (असा.), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (असा.), 06 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (असा.), 03 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (असा.), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (असा.), 08 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (असा.), 15 दिसम्बर,

2008 के का.आ. 2888 (असा.), 09 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (असा.), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (असा.), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(असा.), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(असा.), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (असा.), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (असा.), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (असा.), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (असा.), 04 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (असा.), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (असा.), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (असा.), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (असा.), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (असा.), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (असा.), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (असा.), 28 मई, 2013 के का.आ.1378 (असा.), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(असा.), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(असा.) के माध्यम से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2014

S.O. 1632(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2014.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Clause 4 of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, for Sub-clause (i) the following entries shall be substituted, namely:
“(i) The consignment of soil, earth, sand and similar material may be permitted under the special conditions, additional declarations and for the purposes listed in the Schedule VI of this order.”
3. In Schedule VI of the said order for serial number 394, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Sl.No.	Plant Species	Category of plant material	Country of Origin	Additional declaration required to be incorporated into Phyto sanitary Certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“394	i. Soil	In any form (for research purpose)	Any country	Free from: insect pests, nematodes, microbes and quarantine weed seeds	(i) Dry heat at 121°C (core temp.) for two hours or (ii) Steam heat (autoclave) at 121°C for 30 minutes at 15 psi
	ii. Growing media (with soil, peat or other organic materials)	In any form (with or without plant)		Free from: insect pests, nematodes, microbes and quarantine weed seeds	Steam heat (autoclave) at 121°C for 30 minutes at 15 psi
	iii. Sand	In any form (for non-agricultural purpose)		Free from: insect pests, nematodes, microbes, quarantine weed seeds and organic matter like plant debris etc.	Nil
	iv. Peat or Sphagnum moss	In any form		Free from: insect pests, nematodes,	(i) Steam heat (autoclave) at 121°C for

				microbes, quarantine weed, soil	30 minutes at 15 <i>psi</i> or (ii)Peat should be excavated beneath 2 meter from the surface.
	v. Similar material: Inorganic soil additives, Leonardite, Lignite, Pure sand (Silica, Zircon, Quartz, etc.,) Pure clay like kaolin etc., Rock aggregates and Gravel, Volcanic pumice, Chalk, Salt, Diatomaceous earth, Iron ore, Vermiculite, Perlite, Gypsum, Zeolite etc.,	In any form (for industrial and non- agricultural purpose)		Free from: Organic matter like plant debris etc.	Nil
	vi. Stone	Aggregated/ dust (for non- agricultural purpose)	Nepal	Free from: Organic matter like plant debris etc.	Nil"

[F. No. 8-57/2011-PP.II Vol.II (Part II)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322(E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O. 167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121(E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074(E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No. 296 (E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012, S.O. 799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O. 2919(E) dated 26th September, 2013 and S.O. 1508(E) dated 13th June, 2014.